न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 127/2016
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. ज्ञानप्रकाश एवं
2. विरेन्द्रकुमार आत्मजन श्री राजाराम, बिश्नोई, सरकज नहर पक्की द्वारा मुख्तयारआम प्रीतमसिंह आत्मज श्री मोहनसिंह, जटसिख, चक 1 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....वादीगण

बनाम

1. हंसराज आत्मज श्री किशोरचन्द, अरोड़ा, पक्की,
   1.1. छगनलाल एवं
   1.2. मदनलाल आत्मजन श्री हंसराज, अरोड़ा, पक्की,
2. श्रीमती सत्यारानी आत्मजा श्रीमती हंसादेवी एवं
3. श्रीमती रानीबाई आत्मजा श्रीमती हंसादेवी, गली नम्बर 1, अबोहर जिला फाजिल्का,
4. श्रीमती किरण आत्मजा श्रीमती हंसादेवी, खुईयां सरवर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का,
5. श्रीमती रीटादेवी आत्मजा श्रीमती हंसादेवी,
6. श्रीमती उषारानी आत्मजा श्रीमती हंसारदेवी, गांव पक्की,
7. श्रीमती छिन्द्रकौर घर्मपत्नी श्री चरणसिंह,
8. कुलदीपसिंह,
9. रमनदीपकौर,
10. करणदीपकौर आत्मजन श्री चरणसिंह, जटसिख, सरकज नहर पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
11. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति– श्री विरेन्द्रपालसिंह (वादीगण)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–11)

दिनांक 23 मई, 2018

– आदेश –

वादपत्र के अनुसार चक सरकज नहर पक्की तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 2(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 2(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि श्री किशोरचन्द आत्मज श्री खजानचन्द से जरिये बैयनामा क्रय की गयी तभी से वादीगण के कब्जा काश्त में क्रयाधीन कृषि भूमि चली आ रही है. श्री किशोरचन्द द्वारा विक्रय विलेख परिवार की सहमति एवं सहकृषक की सहमति से करवाया था जिसकी रूह से वादीगण के नाम दिनांक 2 फरवरी, 1983 को राजस्व अभियान में नामान्तरकरण संख्या 75 दर्ज किया

1 सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

गया. नामान्तरकरण के परिदृश्य राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज दर्ज हो चुका है. जो फ्रेगमेन्ट की परिभाषा में आता ही नहीं है. वादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये नामान्तरकरण दिनांक 6 मई, 1993 को रद्द कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादीगण के पिता द्वारा भूमि पहले ही बेची जा चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण का इसमें कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है. वादीगण के खातेदार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में किया गया नामान्तरकरण बेअसर व कानूनन शून्य है. कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होने से प्रतिवादी इसे अन्य को विक्रय एवं बंधक करना चाहते हैं जिससे वादी के हक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को कई बार समझाया तथा उनके नाम पर दर्ज शून्य नामान्तरकरण को निरस्त करने का कहा तो वह दिनांक 31 अगस्त, 1993 को इन्कार हो गये यही वाद का कारण है. इस प्रकार वादीगण द्वारा उक्त 8.05 बीघा कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार घोषित करने तथाा बैयनामा के अनुसार भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया. प्रतिवादी संख्या 7 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. आया वादीगण चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 2(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 2(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं? ....वादीगण
2. आया प्रतिवादीगण के पिता श्री किशोरचन्द ने अपने हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि को वादीगण के हक में जरिये बैयनामा बैय कर दी थी तथा कब्जा दे दिया है? .....वादीगण
3. आया वादीगण अपनी खरीद शुदा भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं? .....वादीगण
4. आया प्रतिवादीगण की भूमि पर वादीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है? ....प्रतिवादीगण
5. अनुतोष?

साक्ष्य वादीगण में मुख्तयार आम सुखन्तसिंह एवं वादी वीरेन्द्रकुमार के बयान करवाये तथा दस्तावेज साक्ष्य में बैयनामा प्रदर्श–1 चित्र प्रति

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रदर्श–1ए, मुख्तयारनामा प्रदर्श–2 प्रतिलिपि प्रदर्श–2ए, जमाबन्दी प्रदर्श–3, इन्तकाल प्रदर्श–4 ए एवं प्रदर्श–5 ए प्रस्तुत किये.

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा पैरवी की हिदायत न होना जाहिर किया गया उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

बहस एक पक्षीय सुनी गयी. पत्रावली का अवलोकन किया गया. विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्बत् 2037 के अनुसार खाता संख्या 13 के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 17 से 24(8.00), मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6(1.00), किला नम्बर 15(1.00), मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 1 से 4 किला नम्बर 6(4.00), किला नम्बर 2 से 12(4.06) मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 1/1(0.01) कुल 21.00 बीघा मय खाला 18.06 महेन्द्रकुमार आत्मज श्री बनवारीलाल, बिश्नोई 200 हिस्सा किशोरचन्द वल्द श्री खजानचन्द अरोड़ा, 166 हिस्सा सा.देह खातेदार दर्ज है. प्रदर्श–1 ए नकल बैयनामा के अनुसार श्री किशोरचन्द वल्द श्री खजानचन्द ने मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 2(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 2(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा बारानी भूमि वादीगण को जरिये पंजीयन बैय की है. जमाबन्दी प्रदश–3 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर पर किशोरचन्द का केवल 166 हिस्सा था. अतः वह उक्त किला नम्बर को अकेले नहीं बेच सकता था इसलिये बैयनामा अकृत एवं शून्य है. अतः उक्त बैयनामा के आधार पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं. तनकी खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है.

विवाद्यक संख्या 2 – प्रतिवादीगण के पिता ने वादीगण को जो भूमि 8.05 बीघा बेची है वह सह खातेदारी की भूमि है और सह खातेदार की बिना सहमति के उसे किलावाईज बेचने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण के पिता को नहीं था इसलिये उस बैयनामा के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार नहीं घोषित किया जा सकता. अतः तनकी खिलाफ वादीगण सिद्व हुई.

विवाद्यक संख्या 3 – उक्त तनकी नम्बर 1–2 में निर्णित हो चुका है. वादीगण खातेदार नहीं हैं अतः उनके खातेदार न होने की दशा में विभाजन नहीं किया जा सकता. अतः तनकी खिलाफ वादीगण सिद्व हुई.

विवाद्यक संख्या 4 – प्रतिवादीगण को यह सिद्व करना था कि उनकी भूमि पर वादीगण ने कब्जा कर रखा है किन्तु प्रतिवादीगण ने न कोई लिखित और न मौखिक साक्ष्य पेश किया जिससे साबित हो सके कि कब्जा प्रतिवादीगण का है. अतः तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण सिद्व हुई.

उक्त विवेचना के आधार पर निर्णय दिनांक 28 अक्तूबर, 2002 के अनुसार वादपत्र निरस्त किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उक्त निर्णय के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 126/2013 शीर्षक ज्ञानप्रकाश व अन्य बनाम हंसराज व अन्य प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2016 को निर्णय पारित कर अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी निर्णय दिनांक 28 अक्तूबर, 2002 निरस्त करते हुऐ सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुऐ पक्षकारों को सुनकर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया.

न्याया. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पृष्ठांकन संख्या 698 दिनांक 19 सितम्बर, 2016 द्वारा पत्रावली क्षेत्राधिकार के परिदृश्य इस न्यायालय को हस्तान्तरित की गयी. तदानुसार, पत्रावली दर्ज पंजिका की गयी.

प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नाटिस दिनांक 20 जनवरी, 2017 को पंजीबद्व करवाये गये जिनमें से प्रतिवादी संख्या 8, 9 एवं 11 की पावती प्राप्त होने पर उन्हें रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 17 फरवरी, 2017 द्वारा प्रतिवादी संख्यसा 8, 9 एवएं 11 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 1.1, 1.2, 2 से 6 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नोटिस अदम तामील प्राप्त.

वादीगण अधिवक्ता की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 10 मई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी समाचारपत्र में प्रकाशन के माध्यम से करवाने का निवेदन किया गया. चूंकि प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियमानुसार तलबी की प्रकिया के अनुसार सामान्य नोटिस, पंजीबद्व नोटिस जारी किये जाने पर भी तलबी नही होने के परिदृश्य न्यायालय द्वारा सन्तुष्ट होकर प्रतिवादीगण की तलबी उनके निवास क्षेत्र से सम्बन्धित राज्य स्तरीय हिन्दी समाचार पत्र मे प्रकाशन करवाने की स्वीकृति दी गयी.

प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी सम्मन दैनिक सीमा सन्देश दिनांक 4 अक्तूबर, 2017 में प्रकाशित करवाये जाने पर भी दिनांक 6 नवम्बर, 2017 को प्रतिवादी को नियमानुसार रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – आया वादीगण चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 7(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 11(0.07) एवं किला

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं?
....**वादीगण**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2046 के अनुसार श्री किशोरचन्द आत्मज श्री खजानचन्द गांव सरकज नहर पक्की के खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 14, मुरब्बा नम्बर 20 एवं मुरब्बा नम्बर 22 की 18.06 बीघा कृषि भूमि में 166 हिस्सा का खातेदार हैं जिनके द्वारा निष्पादित पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 जून, 1975 के अनुसार वादीगण द्वारा चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 7(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 11(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि क्रय की गयी है जिस पर वादीगण क्रय तिथि से ही काबिज चले आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में, वादीगण चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 7(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 11(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि के सद्भावी केता एवं खातेदार काश्तकार हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – आया प्रतिवादीगण के पिता श्री किशोरचन्द ने अपने हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि को वादीगण के हक में जरिये बैयनामा बैय कर दी थी तथा कब्जा दे दिया है?
.....**वादीगण**

पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 जून, 1975 के अनुसार वादीगण द्वारा चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 7(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 11(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि क्रय की गयी है जिस पर वादीगण क्रय तिथि से ही काबिज चले आ रहे हैं. जिसका उल्लेख पंजीबद्व बैयनामा में स्पष्ट रूप से किया गया है कि **कब्जा आराजी मुबईया पर खरीदार को दे दिया है.** इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – आया वादीगण अपनी खरीद शुदा भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं? .....**वादीगण**

विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विनिश्चिय के अनुसार वादीगण द्वारा कयशुदा चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 7(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 11(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि का अपने कब्जा के अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 4 – आया प्रतिवादीगण की भूमि पर वादीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है? ....**प्रतिवादीगण**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2046 के अनुसार श्री किशोरचन्द आत्मज श्री खजानचन्द गांव सरकज नहर पक्की के खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 14, मुरब्बा नम्बर 20 एवं मुरब्बा नम्बर 22 की 18.06 बीघा कृषि भूमि में 166 हिस्सा का खातेदार हैं जिनके द्वारा निष्पादित पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 जून, 1975 के अनुसार वादीगण द्वारा चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 7(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 11(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि कय की गयी है पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 जून, 1975 के अनुसार द्वारा चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 7(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 11(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि कय की गयी है जिस पर वादीगण कय तिथि से ही काबिज चले आ रहे हैं. जिस पर किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से वादीगण प्रतिवादीगण की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा नहीं किया गया है. ऐसी परिस्थति में, विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24 जून, 1975 के अनुसार वादीगण द्वारा कयाधीन चक सरकज नहर पक्की के मुरब्बा नम्बर किला नम्बर 1 से 4(4.00), किला नम्बर 7(0.16) किला नम्बर 8(0.19) किला नम्बर 9(1.00) किला नम्बर 10(1.00) किला नम्बर 11(0.07) एवं किला नम्बर 12(0.03) कुल 8.05 बीघा कृषि भूमि के खातेदार तथा विभाजन करवाने के अधिकारी घोषित किया गया. तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव कमांक भू.अ./2018/2901 दिनांक 7 मई, 2018, भू.अ.निरीक्षक, हिन्दूमलकोट द्वारा जारी प्रतिवेदन, नजरी नक्शा एव जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रति प्रस्तुत की गयी. जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित क की गयी.

।। आदेश ।।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव कमांक भू.अ./2018/2901 दिनांक 7 मई, 2018 के अनुसार वादीगण को चक 5 सरकज नहर पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/9 के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 1 से 4(1.012) हैक्टर, किला नम्बर 7(0.202) हैक्टर, किला नम्बर 8(0.240) हैक्टर, किला नम्बर 9 एवं 10(0.506) हैक्टर, किला नम्बर 11(0.089) हैक्टर, किला नम्बर 12(0.038) हैक्टर कुल 2.087 हैक्टर बारानी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा अन्तिम डिक्री जारी हो.

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यालय हनुमानगढ़

निर्णय कैम्प न्यायालय– 5 एल.एल. में आज दिनांक 23 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालिक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर